

M.O. No - 749/2021



झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
नामान्तरण जाँच प्रतिवेदन

Duplicate  
Copy  
November  
22, 2021



नामान्तरण मुकदमा संख्या :						749R27 /2021 - 2022									
खिला का नाम	देवघर	अनुमंडल नाम	मधुपुर	अंचल का नाम	मधुपुर	खिला का नाम	देवघर	अनुमंडल नाम	मधुपुर	अंचल का नाम	मधुपुर	खिला का नाम	देवघर	अनुमंडल नाम	मधुपुर
मीजा का नाम	सपहा	धाना नम्बर	04	धाना नाम	मधुपुर	मीजा का नाम	सपहा	धाना नम्बर	04	धाना नाम	मधुपुर	मीजा का नाम	सपहा	धाना नम्बर	04
लेखारोपण नं०	283	लेखारोपण तिथि	09/10/2021	परिवर्तन प्रकार	By Sale	लेखारोपण नं०	283	लेखारोपण तिथि	09/10/2021	परिवर्तन प्रकार	By Sale	लेखारोपण नं०	283	लेखारोपण तिथि	09/10/2021

सच्ची प्रतिलिपि

**कर्मचारी रिपोर्ट**

खाला नंबर	10
हल्का का नाम	हल्का-06
प्लॉट नंबर	0/1
मूल खतियान रयत का नाम	गोन्दो मुरमु वो लहू मुरमु पेखरान पलट मुरमु
जमाबन्दी रयत का नाम	श्री हैदार अली-पिता-मु अली
विक्रेता/दाता का नाम	MD WASIM HAIDER
जमाबन्दी रयत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वामी
जमाबन्दी अभिधारी खाला पंजी 2 की जिल्द संख्या	भाग बर्तमान 3 पृष्ठ संख्या बर्तमान 56
यदि आवेदित भूमि संपुक्त खाते की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमीन विक्रय/दान की है हाँ	
मूल रयत आदिवासी है ?	नहीं
क्या जमाबन्दी रयत आदिवासी है? यदि हाँ तो भू-अंतरण हेतु छो० ना० अधि० को धारा 46 अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता से किस विविध मुकदमा संख्या के द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त की गई है ?	
आवेदित भूमि पर वर्तमान में किसका कब्जा है ।	क्रेता
आवेदित भूमि की वर्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यवसायिक/परती	मकान
क्या आवेदित भूमि अनाबाद झारखंड सरकार/बन्दोवस्ता/लीज/भूमि/सीलिंग के अंतर्गत पड़ती है	नहीं
क्या आवेदित भूमि वासीगत/भूदान/सिकमी भूमि/वन भूमि के अंतर्गत पड़ता है	नहीं

22/11/21  
मिलान किया

**कर्मचारी का मतव्य :** महाशय आवेदक द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेखीय जाँच की गई आवेदित भूमि असर्वेक्षित बसोड़ी किस्म की है दखल दलील के आधार पर 20 रुपये लगान आलावे सेस के साथ नामान्तरण की स्वीकृति दी जा सकती है


**अंचल नि. का मतव्य :** महाशय हल्का उपनिष्कक के द्वारा प्रतिवेदित है की आवेदक द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेखीय जाँच की गई आवेदित भूमि असर्वेक्षित बसोड़ी किस्म की है दखल दलील के आधार पर 20 रुपये लगान आलावे सेस के साथ नामान्तरण की स्वीकृति दी जा सकती है

**अंचल नि. का हस्ताक्षर**

**अंचलाधिकारी का आदेश :** हल्का उपनिष्कक एवं अंचल विरीष्क के प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण वाद की स्वीकृति दी जाती है

**अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर**

**Covid-19 से बचाव- कोरोना हारेगा . भारत जीतेगा . दो गण की है नीति भारत .** **प्रतिनिधि** डिस्टेंसिंग करना होगा, हमें कोरोना से लड़ना होगा।









Sub. XIV—F. No. 180V.

रखी गई है।

नाम सही है। नाम सही मय  
पाना को भाषा नम्बर।

वि. नं. रीत, गया।

अ/करव है।

नाम रीत मय बलिभ्यत जमावती  
को समुत्त। नम्बर।

11/11/11 11/11/11 11/11/11 11/11/11 11/11/11

109896  
11/11/11  
11/11/11

भारतीय नकदी अराजी भावकी तफसील (हनाय कवान भावकी)

0-15-2 (11/11/11) 2

जोत का सालाना भाग मय तफसील (बकाया को हाल) बीजूदा साल का।

भाग बाबत	सालाना	बकाया			हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	दस वर्ष	एक वर्ष	
गुजारी (बकायी)	92=00	/	92=00	92=00	92=00
सेस ...	6=20	/	6=20	6=20	6=20
...	6=20	/	6=20	6=20	6=20
मसफरकाड ...	/	/	/	/	/
मोजान	30=00	/	30=00	30=00	30=00

उपरोक्त जमावकास है।

अदायकारी बाबत।	तीन वर्ष से ज्यादा।	बकाया			बंदाबन्दा हाक।	कागजिल
		दस वर्ष	एक वर्ष	...		
गुजारी (बकायी)	/	92=00	92=00	92=00	92=00	
सेस ...	/	6=20	6=20	6=20	6=20	
...	/	6=20	6=20	6=20	6=20	
मसफरकाड ...	/	/	/	/	/	
मोजान अदायकारी	/	30=00	30=00	30=00	30=00	

920=00

1) बीजाव मुक्त (कमरे) - 11/11/11  
2) नाम बलिभ्यत - 11/11/11  
3) कुल बकाया - 11/11/11

...

...

...